

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में “मेकैनिक-सह क्लीनर” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल में “मेकैनिक-सह क्लीनर” पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहें तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई मेल-- हैं। सकते

(गणेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23063481

नई दिल्ली
दिनांक :

(गणेश कुमार)
(GANESH KUMAR)
अवर सचिव / Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख

2022

सा.का.नि.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 'सफदरजंग अस्पताल (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1973' को, जहां तक उसका संबंध मैकेनिक-सह-क्लीनर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मैकेनिक-सह-क्लीनर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मैकेनिक-सह-क्लीनर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अन्वयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैकैनिक-सह-क्लीनर	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणि 1: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायिक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले का पांगी उपखंड और अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं

भर्ती की पद्धति, सीधी-भर्ती द्वारा या प्रो-
नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेन
द्वारा तथा निभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी
जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

वाले व्यक्तियों के लिए
विहित आयु और शैक्षिक
अहताएं प्रोनत व्यक्तियों
की दशा में लागू होंगी या
नहीं

(7)

लागू नहीं होता।

दो वर्ष।

सीधी भर्ती द्वारा।

(9)

- 1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण।
- 2) निम्नलिखित ट्रेड में से किसी एक में मान्यताप्राप्त औच्चोगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र:
 - i मोटर मैकेनिक पाठ्यक्रम।
 - ii डीजल मैकेनिक पाठ्यक्रम।
- 3) बसों, मोटर कार, एम्बुलेंस वाहन के प्रचालन और रख-रखाव का एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अहंताएं अन्यथा सुआहित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन

कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहंताएं सद्यम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएंगे, अनुमूलित जातियों और अनुमूलित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

<p>प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्ति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिचयिताओं में सब लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(11)</p> <p>लागू नहीं होता।</p>	<p>(12)</p> <p>विभागीय प्रोन्ति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली - अंदर 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली - सदस्य 3. उपनिदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 	<p>(13)</p> <p>लागू नहीं होता।</p>
		<p>[ए.11018/19/2021-एमएन II]</p> <p>(गोपेश कुमार) अवर सचिव, भारत सरकार</p>